

## संलग्नक -1

क्रमांक	समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख (समस्त अभिलेख सदाग्र प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए)	प्रस्तुत किया (हाँ अथवा नहीं)
1	सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (अद्यतन)	हाँ
2	सोसाइटी की नियमावली	हाँ
3	सोसाइटी एवं कार्यकारणी समिति का प्रस्ताव (संकल्प पत्र) जिसमें कार्यकारणी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो।	हाँ
4	भूमि का विवरण गाठा संख्या क्षेत्रफल का सक्षम अधिकारी (विकास प्राधिकरण/जिला पंचायत/नगर पंचायत/राजस्व विभाग) द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र जिसमें संदर्भित भूमि के विवाद रहित होने तथा सम्पूर्ण गाटे एक दूसरे से निलंबने तथा उनके मध्य नाली चक्रोड रास्ता कब्रिस्तान शमशान तथा जलमग्न क्षेत्र के न होने का उल्लेख हो।	हाँ
5	भूमि रजिस्ट्री के पेपर।	हाँ
6	भूमि प्रयोग 143	हाँ
7	भूमि की खसरा और खतौनी।	हाँ
8	भूमि का नजरी नक्शा जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा आकसी पेपर ट्रैस पेपर पर मुहाफिस खाना (अभिलेखागार) से संबंधितगारी की चैहददी सहित नक्त सवाल द्वारा प्राप्त किया गया है, जिससे कि गुनिया द्वारा क्षेत्रफल की वास्तविक पैमाइश की जा सके।	हाँ
9	नोटरी शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)	हाँ
10	भूमि एवं भवन का रंगीन भूगोल नैप जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।	हाँ
11	निर्मित/प्रस्तावित भवन चिल्डिंग बाइलाज के अनुसार है तथा सम्पूर्ण भवन भूकंपरोधी है। इस आशय का प्रमाण-पत्र वास्तविट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संयुक्त रूप से लिया गया हो।	हाँ
12	प्रस्तावित भूमि में निर्मित भवन एवं अवशेष भूआग का उपयोग संदर्भित संस्थान अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु न किये जाने का प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी) द्वारा।	हाँ
13	संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र/जिला पंचायत/नगर निगम से स्वीकृत भवन के मानचित्र की छायाप्रतियां परमिट संख्या सहित ए० ओ० ए० श० श० श० साइज पेपर पर बाहित हैं।	हाँ
14	संबंधित जिले के अविनश्चमन विभाग के एन०वी०सी० 2016 में दिये गये प्रारूप पर अनापति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।	हाँ
15	भूकंप जौन 4 व 5 में आने वाले जनपदों के मानचित्र में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रगाण पत्र एन०वी०सी० 2016 में दिये गये प्रारूप पर अनिवार्य हैं।	लागू नहीं
16	यदि संस्था ए०के०टी०य०, लखनऊ से सम्बद्धता प्राप्त है तो सम्बद्धता प्रमाण पत्र प्रमाणित छायाप्रति	लागू नहीं
17	ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा पूर्व में पी०सी०आइ० नई दिल्ली/ए० आई०सी०टी०ड० नई दिल्ली में अनुमोदन हेतु	हाँ